न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00003

		अभियुक्त :–
राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	श्री गणेश पाटीदार पुत्र श्री माधव पाटीदार (मोटर साईकल दुध विक्रेता) स्थायी पता निवासी – वल्लभ चौक, पटेलवाडा मु.पो बागीदौरा जिला बॉसवाडा

उपस्थित :–

श्री हीरालाल जैन अधिवक्ता
श्री नीरज पटेल अधिवक्ता

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 10.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 13–01–2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 28–10–2020 को 07.40 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **नमूना स्थल मु.पो. उदयपुरा बस स्टेण्ड जिला बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय स्थल पर **श्री गणेश पाटीदार पुत्र श्री माधव पाटीदार** (मोटर साईकल दुध विक्रेता) उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता मोटर साईकल नं. आर.जे03 एस.जी. 7366 पर एक पिपे में करीब 50 **प्लास्टिक पॉलिथिन जो धागे से बंधी थी में मिक्स दुध** आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **पिपे में से 10 प्लास्टिक पॉलिथिन जिनमें प्रत्येक में 200 एम.एल. दुध था को निकाल कर एक साफ सुखे खाली स्टील के भगोने में निकालकर खरीदा तथा इनकी कीमत 80 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की।** जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजि. ...–2020 को दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना टर्न ओवर 2 लाख रुपया होना बताया। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा 2 लीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.26 16:46:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मिक्स दुध को चार साफ, सुखे व खाली प्लास्टिक की बोतलो में बराबर–बराबर (प्रत्येक मे करिब 500 एम.एल) भरकर फार्मेलीन की 40 बूंद प्रत्येक में डालकर बोतल का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/246 दिनांक 06.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 188 दिनांक 01.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **मिक्स दुध** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 एवं विक्रेता के पास मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु किसी प्रकार का लायसेंस रजिस्ट्रेशन नही पाया गया, विक्रेता ने अपना टर्न ओवर 2 लाख रुपया होना बतलाया। अतः सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(वी) की धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 14–01–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 27.01.2021 को अभियुक्त **श्री गणेश पाटीदार पुत्र श्री माधव पाटीदार** के अधिवक्ता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपने परिवादी द्वारा कारीत अपराध को स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए./2020/246 दिनांक 06.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 188 दिनांक 01.11.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **मिक्स दुध** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.26 16:46:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया **मिक्स दुध** विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का एवं विक्रेता के पास मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु किसी प्रकार का लायसेंस रजिस्ट्रेशन नही पाया गया, विक्रेता ने अपना टर्न ओवर 2 लाख रुपया होना बतलाया है। अतः सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(वी) की धारा 58 उल्लंघन किया है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री गणेश पाटीदार पुत्र श्री माधव पाटीदार (मोटर साईकल दुध विक्रेता) स्थायी पता निवासी – वल्लभ चौक, पटेलवाडा मु.पो बागीदौरा** को रूपये 15,000/– (अक्षरे रू. पंद्रह हजार रुपया मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्यायनिर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.26 16:46:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner